

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 सितम्बर 2021—भाद्र 24, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. एफ-ए-3-16-2021-1-पांच-(65).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर संशोधन नियम, 2021 है.
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये नियम दिनांक 29 अगस्त को प्रवृत्त होंगे.
2. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,—
 - (i) नियम 26 के उपनियम (1) में,—
 - (क) चौथे परंतुक में, “31 अगस्त, 2021” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, “31 अक्टूबर, 2021” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
 - (ख) 1 नवंबर, 2021 से सभी परंतुकों का लोप किया जाएगा;
 - (ii) 1 मई, 2021 से, नियम 138 ड में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह भी कि उक्त निर्बंधन 1 मई, 2021 से 18 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान उस दशा में लागू नहीं होगा जहां, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी या प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8 में विवरण मार्च, 2021 से मई, 2021 की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है.”

- (iii) प्ररूप जीएसटी एसएमटी—14 में,—
- (क) “आपका रजिस्ट्रीकरण” शब्दों के पश्चात्, “आदेश प्रतिनिर्देश सं.तारीखद्वारा,” शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) “क्यों रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार संचालन के लिए” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ग) अंत में, “पदनाम” के पश्चात्, “पता” शब्द अंतस्थापित किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. एफ-ए-3-16-2021-1-पांच-(65).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-16-2021-1-पांच-(65), दिनांक 15 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 15th September 2021

No. F-A-3-16-2021-1-V (65).—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Amendment rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on 29th August 2021.

2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017,—

(i) in sub-rule (1) of rule 26,—

- (a) in the fourth proviso, for the figures, letters and words “31st day of August, 2021”, the figures, letters and words “31st day of October, 2021” shall be substituted;
- (b) with effect from the 1st day of November, 2021, all the provisos shall be omitted;

(ii) with effect from the 1st day of May, 2021, in rule 138E, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the said restriction shall not apply during the period from the 1st day of May, 2021 till the 18th day of August, 2021, in case where the return in FORM GSTR-3B or the statement of outward supplies in FORM GSTR-1 or the statement in FORM GST CMP-08, as the case may be, has not been furnished for the period March, 2021 to May, 2021.”;

(iii) in FORM GST ASMT-14,—

- (a) after the words, “with effect from”, the words, “vide Order Reference No., dated” shall be inserted;
- (b) the words, “for conducting business without registration despite being liable for registration” shall be omitted;
- (c) at the end after “Designation”, the word “Address” shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.